उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-8

संख्या- 7/2021/1105 /23-8-2021

लखनऊ : दिनांक : 15 जुलाई, 2021

विज्ञप्ति/ नियुक्ति

रिट याचिका संख्या-7806(एस0एस0)/2021 राजेश चौधरी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 19-03-2021 के अनुक्रम में श्री राजेश चौधरी, सहायक अभियन्ता (सिविल) को कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1/1997, दिनांक 28-05-1997 के प्रस्तर 10 में वर्णित व्यवस्थानुसार अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतनमान बैण्ड-3, रू0 15,600-39,100, ग्रेड पे रू0 6600/- (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-11) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तदर्थ प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री चौधरी की उक्त तदर्थ प्रोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए होगी और शासन को उक्त तदर्थ प्रोन्नति को कभी भी समाप्त कर देने का अधिकार होगा तथा तदनुसार श्री चौधरी को सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा।

3- श्री चौधरी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे तथा उनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अच्युतानन्द

अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस आदेश की प्रति संबंधित अधिकारी को अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे।

3- स्टाफ आफीसर, प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया अधिशासी अभियंता के पद पर तुरन्त कार्यभार ग्रहण करें और अपनी योगदान आख्या प्रमुख अभियंता के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

5- अधीक्षण अभियंता(अधि0), प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करायें तथा प्रकाशित राजपत्र की प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली।

8- लोक निर्माण अनुभाग-4

9- गार्ड फाइल/ डाटा सेल।

आज्ञा से,

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।